न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2025
प्रविष्टि दिनांक 14.07.2025

मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1—राज.राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक (जि.रा.ले.)टोंक
2—अधिशाषी अभियंता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक राज.

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 सी.पी.सी रिकॉल/रिव्यू किये जाने बाबत आदेश दिनांक 01.08.2024

उपस्थिति : (1) प्रार्थी स्वंय
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 07.05.2026**

प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्ध अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा—4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर जिला कलेक्टर (जि.रा.ले.) टोंक द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर निर्णय को खिलाफ कानून बताते हुए प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 सी.पी.सी. रिकॉल/रिव्यू निर्णय दिनांक 01.08.2024 स्वीकार कर प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पद दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की जाकर प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे प्रार्थी एंव राजकीय अभिभापक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दोराने बहस निवेदन किया कि बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्ध

जिला कलेक्टर
टोंक

अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर जिला कलेक्टर (जि.रा.ले.) टोंक द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मुझे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 सी.पी.सी. रिकॉल/रिव्यू निर्णय दिनांक 01.08.2024 स्वीकार कर प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस मे निवदेन किया कि मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्व अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाये जाने पर जिला कलेक्टर (जि.रा.ले.) टोंक द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा मे दिनांक 30.09.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक दिनांक 25.09.2019 को ही प्रकरण से सबंधित केवियट प्रार्थना पत्र अ. धारा 148 (ए) दीवानी प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया है। दिनांक 24.02.2020 से 11.07.2024 तक पत्रावली वास्ते जवाब मे नियत थी। प्रत्येक तारीख पेशी पर प्रार्थी का अभिभाषक उपस्थित हुआ है। अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय हाजा मे अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 18.07.2024 को एक तरफा कार्यवाही कर प्रकरण मे राजकीय अभिभाषक की बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगभग 12 माह बाद रिव्यू का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र केवल मूल प्रकरण के निर्णय मे किसी कानूनी बिन्दू का अभाव होने पर ही पेश किया जा सकता है। मूल प्रकरण मे प्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये है। प्रार्थी (बकायादार) को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 सी.पी.सी. रिकॉल/रिव्यू निर्णय दिनांक 01.08.2024 को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने प्रार्थी व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिला कलेक्टर (जि.रा.ले) टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्व अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पीडी आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा मूल प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये है। न्यायालय हाजा मे प्रकरण दिनांक 30.09.2019 को दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक दिनांक 25.09.2019 को ही प्रकरण से सबंधित केवियट प्रार्थना पत्र अ. धारा 148 (ए) दीवानी प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय हाजा मे अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 18.07.2024 को एक तरफा कार्यवाही कर प्रकरण मे राजकीय अभिभाषक की बहस

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

सुनने के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पारित निर्णय से पूर्व अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी को कई अवसर प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 सी.पी.सी. रिकॉल/रिव्यू निर्णय दिनांक 01.08.2024 को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक